अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

769. **श्री अजीत जोगी :**

श्री पृथ्वी माझी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की सूचीकृत संख्या क्या है जो केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सचिवों के रूप में कार्य करने के योग्य पाये गये हैं ;

(ख) इन श्रेणियों के उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो इस समय केन्द्रीसे सरकार में संयुक्त सचिवों अथवा इन ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे है ;

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखती है कि ऐसे ऊंचे पदों का एक निश्चित प्रतिशत इन श्रेणियों के लिए आरक्षित रखा जाये ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जाति के 62 अधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति के 20 अधिकारी केन्द्र में संयुक्त सचिव/समतुल्य पदों पर कार्य करने के लिए योग्य पाये गये हैं ।

(ख) इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुसूचित जाति के 14 अधिकारी तथा अनुसूचित जनजाति के 4 अधिकारी केन्द्र में संयुक्त सचिव/समतुल्य अथवा उच्चस्तर पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

(ग) और (घ) संयुक्त सचिव के स्तर पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने के लिए उनकी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखना होगा । हालांकि अधिकारियों के किसी वर्ग या समूह के लिए पदों का कोई नियत प्रतिशत आरक्षित नहीं किया गया है फिर भी यह प्रयास किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जिन अधिकारियों के नामों का सम्बन्धित संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव किया जाता है और जो इस स्तर के पदों पर कार्य करने के लिए योग्य हैं, उन्हें प्रतिनियुक्ति पर रखा जाए ।

Allocation made for Madhya Pradesh

770. SHRI AJIT P. K. JOGI:

SHRI PRITHIBI MAJHI:

Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) what are the allocations made for the centrally sponsored schemes for Madhya Pradesh during the Seventh Five Year Plan;

(b) the amount spent so far out of the amount allotted to the State; and

(c) the provisions made for the year 1988-89?

THE MINISTER OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) to (c) A statement (*See* below) indicating allocation for the Seventh Plan, expenditure during the first three years 1985-86 to 1987-88 of the plan and allocation for 1988-89 in respect of some of the major Centrally Sponsored Schemes under implementation in Madhya Pradesh, based on the data available in the Planning Commission, is enclosed.

Statement

Some of the Major Centrally Sponsored Schemes-Madhya Pradesh

Head/Name of the scheme	Seventh Plan allocation	Exp. by the end of 1987-88	Allocation for 1988-89
Health			
Family Welfare Programme	1/	10117.34	2987.25
National Malaria Eradication Programme	2717.72	3392.40	787.42
Rural Development			
Integrated Rural Development Programme	1/	17074.99	6599.79
National Rural Employment Programme	1/	19765.00	3171.00
Rural Landless Employment Guarantee Programme	1/	12944.00	5060.00
Social Welfare			
Integrated Child Development Services	1/	2180.34	4/
Agriculture			
Assistance to Small & Marginal Farmers	1/	1754.90	685.20
Command Area Development			
Command Area Development Programme	16196.00	6396.00	2291.00
Water Supply			
Accelerated Rural Water Supply Programme	1/	9184.00	2773.00
Education			
Operation Black Board Programme	2/	1194.00 3/	1981.00
Power			
Renovation & Modernisation of Thermal Power Stations	1/	886.22	250.30
Inter-State Transmission Lines	1429.00	1273.00	120.00
Forestry			
Rural Fuelwood Plantations	450.00	342 09	176.82
Welfare of Backward classes			
Post Matric Scholarship	1/	443 60	176.51

1/ No Statewise allocation has been made for these programmes. Allocations are being decided on year to year wise.

2/ The scheme was not formulated then.

3/ Grants released.

4/ Devolution of Fund depends on receipt of application.